




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
18/19	136 L.R Act-	कुड़ियांता	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
दानमाल	बनाम	पत्रीवली	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
15/7/19	अभिमानक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 L.R Act विरुद्ध अप्रार्थी पक्ष के इस न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट अस्तित्व का आवलोकन किया प्रमाण दर्ज सफिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थी पक्ष को पालिए समत तलब कर पत्रीवली दिनांक 19/8/19 को पेश हो।	
26/8/19	पत्रीवली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तदनुसार दार के वास्त रिपोर्ट तहरीर जारी की जावे। वास्त रिपोर्ट पत्रीवली दिनांक 01/10/19 को पेश हो।	
09/10/19	आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रीवली पूर्ववत स्थिति में दिनांक... 30/10/19... को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां),	
30/10/19	आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रीवली पूर्ववत स्थिति में दिनांक... 31/10/19... को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां),	
31/10/19	आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रीवली पूर्ववत स्थिति में दिनांक... 31/10/19... को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां),	

प्र. सं. 18/019 द्वारा 136 CR ACT

उत्तम दानमल vs सरकार

राजस्व लोक अदालत कोर्ट के लिए पत्रावली प
दिनांक 13/8/22 निम्न को जाती है। लोक अदालत
कोर्ट के रूप में निम्नस्थानी कोर्ट को दृष्टा में प्रत्यक्ष
पूर्ववत् दिनांक 31/8/22 को न्यायालय में प्रेषित है।

8/8/22

राजस्व लोक अदालत
कोर्ट 13/8/22

आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारा

15/8/22

पत्रावली को लोक अदालत पर प्रेषित हुई।
प्राप्ति द्वारा प्राप्त कि अन्तर्गत धारा 136 CR
ACT के तहत प्राप्ति पर इस आशय का प्रेषित
विधायक गण कि ग्राम कडैथनोहर तहसील इबडा
के शकता संख्या 74 में पिता को मृत्यु होने पर
प्राप्ति का जालता नाम इतिरलाल इतकाल से रिपोर्ट
में दर्ज कर दिया है जबकि प्राप्ति का पत्र-पत्र पर
संशयार्थ, विधायक को अंक तालिका में प्राप्ति का
नाम दानमल दर्ज है। अतः इको से इतिरलाल के
स्थान पर लोक दानमल दर्ज करने की कृपा जागी।

मकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार इबडा
से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार इबडा द्वारा अपनी
रिपोर्ट में बताया कि नाम-मकरण खुलते समय
नाम इतिरलाल को दर्ज हो गया जो कि अशुद्ध
है। प्राप्ति को दोनों नाम इतिरलाल व दानमल के
नाम से जानते हैं। अतः इतिरलाल के स्थान पर
इतिरलाल उर्फ दानमल शुद्ध करने की अनुशंसा
की जाती है।

मुताबिक तहसीलदार इबडा की अनुशंसा
के आधार पर भू. सं. 1956 अधिनियम 1956 की धारा
136 के तहत ग्राम कडैथनोहर तहसील इबडा के शकता
संख्या 74 में प्राप्ति का नाम इतिरलाल के स्थान पर
इतिरलाल उर्फ दानमल नाम शुद्ध करने के आदेश
तहसीलदार इबडा को दिये जाते हैं। तहसीलदार इबडा
तदनुसार फलान सुनिश्चित करें। पत्रावली प्रेषित
शुभर होकर दारिजल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारा (राज.)